झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (सी0) सं0–470 वर्ष 2017

प्रवीणा चौधरी .... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. झारखंड राज्य
2.. सचिव, समाज और कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार, रांची
3. जिला समाज कल्याण अधिकारी, रांची
4. बाल विकास परियोजना अधिकारी, नगरी, रांची .... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेश शंकर**

याचिकाकर्त्ता के लिए :– मेसर्स पीयूष कृष्ण चौधरी, धर्म कुमार झा

राज्य के लिए :– सुश्री चंद्र प्रभा, एस0सी0–IV

05/11.09.2018 वर्तमान रिट याचिका याचिकाकर्ता को राशि वापस करने के लिए उत्तरदाताओं पर निर्देश जारी करने के लिए दायर की गई है, जिसे गलत तरीके से मार्च, 2014 से जून, 2015 की अवधि के दौरान याचिकाकर्ता के जी0पी0एफ0 खाते से घर निर्माण अग्रिम के खिलाफ समायोजित/काट लिया गया है।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता महिला पर्यवेक्षक के पद पर नगरी ब्लॉक (रांची जिला) में तैनात थी। याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि अपनी बेटी की शादी के उद्देश्य से अपने जी0पी0एफ0 खाते के खिलाफ लिया गया ऋण मार्च, 2014 से जून, 2015 तक की अवधि के दौरान गृह निर्माण अग्रिम के खिलाफ गलत तरीके से काटा/समायोजित नगरी ब्लॉक के संबंधित ऑफिस स्टाफ द्वारा किया गया है। वास्तव में,

याचिकाकर्ता ने पूर्वोक्त अवधि के दौरान कोई गृह निर्माण ऋण नहीं लिया है। उक्त मामले में विरोध जताने पर, प्रतिवादी संख्या 3 ने दिनांक 30.12.2015 के पत्र द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा कि किन परिस्थितियों में उक्त गलती की गई है। हालांकि, इसके बाद उत्तरदाताओं ने उक्त गलती को सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है।

पार्टियों के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुनने और वर्तमान रिट याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए शिकायत की प्रकृति पर विचार करने के बाद, याचिकाकर्ता को इस संबंध में प्रतिवादी संख्या 3 के समक्ष एक नया अभ्यावेदन देने की स्वतंत्रता दी जाती है। इस तरह के अभ्यावेदन प्राप्त होने पर, प्रतिवादी संख्या 3, उचित जांच करने के बाद, संबंधित रिकॉर्ड का सत्यापन करने और याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद एक युक्तियुक्त आदेश पारित करके मामला पर उचित निर्णय लेगा, अधिमानतः उक्त अभ्यावेदन की प्राप्ति की तारीख से 12 सप्ताह की अवधि के भीतर।

वर्तमान रिट याचिका का निपटारा तद्नुसार पूर्वोक्त स्वतंत्रता और निर्देश के साथ किया जाता है।

(राजेश शंकर, न्याया0)